भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	परियोजना का नाम:– जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित (6.00 x 5.00 = 30.00 वर्ग मी0 अर्थात 0.0030है0 (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) की भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.0300 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.0030 हैक्टर, ग्राम समाजों में निहित जंगल वन विभाग।
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर. एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर कोई वृक्ष वाधित /प्रभावित होना निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक(से0नि0) लो0नि0वि0 देहरादून की दो पृष्ठीय भू–गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 34 से 40 पर चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल जनपद– देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां (देवांचल विहार में ग्राम समाजों में निहित जंगल वन विभाग) की सीमा अन्तर्गत है। खतौनी की प्रति प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 14ए पर चस्पा है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 16 पर चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /लो0नि0वि0 एंव राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 46 पर चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एंव वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 45 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 49 से 50 पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	उक्तानुसार।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	**प्रजातियांः–** जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेन्सीः–** स्वयं वन विभाग। **समयः–** उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागतः–** प्रस्तावित निर्माण कार्य के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 78,000.00 (रू0 अठ्हतर हजार मात्र) का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 49 से 50 पर चस्पा है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रस्तावित योजना के निर्माण में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 78,000.00 (रू0 अठ्हतर हजार मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रपत्र–4 के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 11 पर चस्पा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 03–02–2017 को किया गया है, जो प्रस्ताव के प्रपत्र–5 संलग्नक पृष्ठ सं0 – 12 पर चस्पा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	जिला– देहरादून
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	3088 वर्ग कि0मी0
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2116.92 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	कुल नामलों की संख्या 109 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 256.0708 है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 184.8423 है0 है।
(iii)	नामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	(क) 395.8194 हैक्टेयर /622.9106 है0 (ख) रिक्त
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि पर:–	(क) 1– 274.980 है0 /478.88 है0 जिला /प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक 14–02–2017।